"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 496 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2015— आश्विन 20, शक 1937

### विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2015

क्रमांक 9789/डी. 288/21-अ/प्रारू./छ. ग./15. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 3 सन् 2015) एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**व्ही. के. होता**, अतिरिक्त सचिव.

## छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्र. 3 सन् 2015)

# भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अध्यादेश, 2015

**छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश।**

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया।

यतः राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें:

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

**संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**

1. (1) यह अध्यादेश भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अध्यादेश, 2015 कहलाएगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

**छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) को अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.**

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन प्रभावी होगा ।

**अनुसूची 1—क का संशोधन.**

3. मूल अधिनियम की अनुसूची 1—क के अनुच्छेद 35 के खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(कक) जहां खनि पट्टा नीलामी के आधार पर दिया गया हो—

| | |
|---|---|
| (एक) जहां पट्टा एक वर्ष से कम अवधि के लिये तात्पर्यित हो; | वही शुल्क जो ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय सम्पूर्ण रकम के बन्धपत्र (कमांक 15) पर लगता है। |
| (दो) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो जो एक वर्ष से कम न हो किन्तु पांच वर्ष से अधिक न हो ; | वही शुल्क जो आरक्षित किए गए औसत वार्षिक स्वामित्व की रकम या मूल्य के बन्धपत्र (कमांक 15) पर लगता है । |
| (तीन) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो जो पांच वर्ष से अधिक हो किन्तु दस वर्ष से अधिक न हो; | वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक स्वामित्व की डेढ़ गुनी रकम या मूल्य के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (कमांक 23) पर लगता है । |

| | |
|---|---|
| (चार) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो जो दस वर्ष से अधिक हो किन्तु बीस वर्ष से अधिक न हो; | वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक स्वामित्व की रकम या मूल्य के तीन गुने के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है । |
| (पांच) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो, जो बीस वर्ष से अधिक हो किन्तु तीस वर्ष से अधिक न हो; | वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक स्वामित्व की रकम या मूल्य के पांच गुने के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है । |
| (छः) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो, जो तीस वर्ष से अधिक हो किन्तु एक सौ वर्ष से अधिक न हो; | वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक स्वामित्व की रकम या मूल्य के आठ गुने के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है । |
| (सात) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो, जो एक सौ वर्ष से अधिक हो या शाश्वत काल के लिये हो; | वही शुल्क जो सम्पूर्ण स्वामित्व रकम, जो कि प्रथम साढ़े बारह वर्ष के पट्टे के संबंध में चुकाया या परिदत्त किया जायेगा, के बराबर बाजार मूल्य या एक चौथाई के लिये हस्तातंरण (क्रमांक 23) पर लगता है। |
| (आठ) जहां पट्टा किसी निश्चित अवधि के लिये तात्पर्यित न हो; | वही शुल्क जो ऐसे औसत वार्षिक स्वामित्व, जो कि प्रथम दस वर्ष के लिये चुकाया या परिदत्त किया जायेगा यदि पट्टा उस अवधि तक चालू रहा हो, के रकम या मूल्य के तीन गुने के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है । |

परंतु यह कि इस अनुच्छेद के खण्ड (ख) एवं (ग) में अंतर्विष्ट कोई बात, इस खण्ड के मामले में लागू नहीं होगी ।

**स्पष्टीकरण–** नीलामी के आधार पर खनि पट्टों के मामले में स्वामित्व को छोड़कर अन्य किसी राशि पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य नहीं होगा ।"

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2015

**क्रमांक 9789/डी. 288/21-अ/प्रारू./छ. ग./15 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 3 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**व्ही. के. होता**, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 3 of 2015)

## THE INDIAN STAMP (CHHATTISGARH AMENDMENT) ORDINANCE, 2015

**An Ordinance to further amend the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) in its application to the State of Chhattisgarh.**

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance:–

**Short title and commencement.**

1. (1) This Ordinance may be called the Indian Stamp (Chhattisgarh Amendment) Ordinance, 2015.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) in its application to the State of Chhattisgarh to be temporarily amended.**

2. During the period of operation of this Ordinance, the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), (hereinafter referred to as the Principal Act), in its application to the State of Chhattisgarh shall have effect subject to the amendment specified in Section 3.

**Amendment of Schedule- I-A.**

3. After clause (a) of Article 35 of Schedule I-A of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"(aa) where the mining lease is granted on the basis of auction-

| | |
|---|---|
| (i) where the lease purports to be for a term less than one year; | The same duty as a Bond (No. 15) for the whole amount payable or deliverable under such lease. |
| (ii) where the lease purports to be for a term of not less than one year but not more than five years; | The same duty as a Bond (No. 15) for the amount or value of the average annual royalty reserved. |

| | |
|---|---|
| (iii) where the lease purports to be for a term exceeding five years but not exceeding ten years; | The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to the amount or value of one and half times the average annual royalty reserved. |
| (iv) where the lease purports to be for a term exceeding ten years but not exceeding twenty years; | The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to three times the amount or value of average annual royalty reserved. |
| (v) where the lease purports to be for a term exceeding twenty years but not exceeding thirty years; | The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to five times the amount or value of the average annual royalty reserved. |
| (vi) where the lease purports to be for a term exceeding thirty years but not exceeding one hundred years; | The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to eight times the amount or value of the average annual royalty reserved. |
| (viii) where the lease does not purport to be for any definite term; | The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to three times the amount or value of the average annual royalty, which would be paid or delivered for the first ten years if the lease continued so long. |

Provided that nothing contained in clause (b) and (c) of this Article shall be applicable in respect of this clause.

**Explanation-** In case of grant of mining lease on the basis of auction no Stamp Duty shall be chargeable on any amount other than royalty."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.